**भारत सरकार**
**शिक्षा मंत्रालय**
**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-1944**
**उत्तर देने की तारीख-05/08/2026**

**केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव**

1944 **श्री जावेद अली खान:**
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्ष 2024, 2025 और 2026 के दौरान जिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव आयोजित किए गए हैं, उनका वर्ष-वार तथा विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है, जहाँ छात्रसंघ भंग कर दिए गए हैं अथवा कार्यरत नहीं हैं, साथ ही छात्रसंघों के भंग किए जाने का वर्ष क्या है;
(ग) क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों को पुनः बहाल करने करने का विचार रखती है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (ङ) शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संस्थान हैं और अपने अधिनियमों, विधियों और अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। छात्र संघ/परिषद का गठन संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में निहित संविधि 36 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

******